**एनएचपीसी लिमिटेड**
**पर्यावरण संबंधी पहलुओं के संबंध में छमाही प्रगति रिपोर्ट**

**मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के लिए प्रगति रिपोर्ट**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | परियोजना का नाम | उरी-II पावर स्टेशन (240 मेगावाट) |
| 2 | परियोजना की प्रकार | जलविद्युत् परियोजना |
| 3 | स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और तारीख<br>क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति<br><br>ख) वन संबंधी स्वीकृति | क) सं. जे-12011/14/2004-IA-I, दिनांक 13.08.2004<br>ख) परियोजना के निर्माण के लिए किसी वन भूमि की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र सं. PCCF/FC/292/ 1514-17, दिनांक 29.07.2003 द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है। |
| 4 | स्थान<br>क) जिला<br>ख) राज्य<br>ग) अक्षांश<br>घ) देशांतर | क) बारामूला<br>ख) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर<br>ग) $34^0$ 05′ 34′′ उ० से $34^0$ 06′ 27′′ उ०<br>घ) $73^0$ 56′ 23′′ पू० से $74^0$ 1′ 52′′ पू० |
| 5 | पत्र-व्यवहार का पता<br>क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित)<br><br>ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित) | क) समूह महाप्रबंधक (सिविल),<br>उरी-II पॉवर स्टेशन,<br>नौपोरा, पोस्ट-उरी,<br>जिला-बारामूला<br>(केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर) - 193123<br>दूरभाष नं: 01956-254201, फैक्स नं.: 01956-254201<br><br>ख) कार्यपालक निदेशक,<br>पर्यावरण और विविधिता प्रबंधन विभाग,<br>निगम मुख्यालय, एनएचपीसी लिमिटेड<br>एनएचपीसी कार्यालय परिसर,<br>सेक्टर- 33, फरीदाबाद-121003<br>दूरभाष नं. 0129-2254674<br>ईमेल: envdivmgn-co@nhpc.nic.in |
| 6 | पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण | परियोजना में निम्नलिखित पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं:<br>1. जलग्रहण क्षेत्र उपचार<br>2. जैवविविधता संरक्षण<br>3. मत्स्य विकास<br>4. स्वास्थ्य सेवा<br>5. ऊर्जा संरक्षण उपाय<br>6. मलबे का निपटान<br>7. निर्माण-क्षेत्रों का पुनरुद्धार<br>8. हरित पट्टी का विकास<br>9. ठोस कूड़ा-करकट प्रबंधन |

<table>
<tr><td></td><td></td><td>10. आपदा प्रबंधन योजना<br>11. पर्यावरण संबंधी अध्ययन/ मानीटरिंग कार्यक्रम<br>12. पुनर्वास और पुनर्स्थापन</td></tr>
<tr><td>7</td><td>परियोजना क्षेत्र का विवरण (भूमि का विवरण)<br>क) जलमग्न क्षेत्र:<br>(वन क्षेत्र और गैर-वन क्षेत्र)<br><br><br><br><br>ख) अन्य</td><td>क) जलमग्न क्षेत्र: 50.993 हैक्टेयर<br>i. वन भूमि: शून्य<br>ii. अन्य:<br>- निजी भूमि: 41.352 हैक्टेयर<br>- सरकारी भूमि: 9.641 हैक्टेयर<br><br>ख) अन्य : 127.232 हैक्टेयर<br>- निजी भूमि: 82.695 हैक्टेयर<br>- सरकारी भूमि: 44.537 हैक्टेयर<br>कुल भूमि : 178.225* हैक्टेयर<br>* इसमे पीरिस्थान गांव की 556 कनाल जमीन भी शामिल है जो कि जल भराव क्षेत्र में आती हैं। जिसके लिए अधिग्रहण की कार्यवाही राजस्व रिकार्ड की अनुपलब्धता के कारण लंबित हैं। इस सम्बन्ध में सरकार में सक्षम अधिकारियों के पास कई जांच लंबित है ।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>परियोजना प्रभावित आबादी में से जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि, दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/दस्तकारों की गणना सहित परियोजना से प्रभावित आबादी का विवरण<br><br>क) अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी<br>ख) अन्य</td><td><table>
<tr><th>क्र.स.</th><th>श्रेणी</th><th>परिवारों की संख्या</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>घर विहीन अनुदान</td><td>173</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>भूमि विहीन अनुदान</td><td>79</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>योग्य व्यक्तियों के परिवार को अनुदान</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>क) परिवार जिनके पास < 50% भूमि</td><td>56</td></tr>
<tr><td></td><td>ख) परिवार जिनके पास > 50% भूमि</td><td>265</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>परिवहन अनुदान</td><td>173</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल योग (2+3)</td><td>400</td></tr>
<tr><td></td><td>योग्य व्यक्तियों के परिवार को अनुदान</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>परिवार जिनके पास >50% भूमि</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>राज्य भूमि</td><td>34</td></tr>
<tr><td></td><td>कस्तोदियन भूमि</td><td>87</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल योग</td><td>121</td></tr>
<tr><td></td><td>महायोग</td><td>521</td></tr>
</table>
नोट: विस्थापितों का संशोधित विवरण राजस्व विभाग, जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा दिया गया हैं<br><br>एस टी: 28; ओबीसी: 493<br>शून्य</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>9</td><td>वित्तीय ब्यौरा<br>क) परियोजना की लागत, जैसा कि आरम्भ में आयोजना की गई थी, और बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का वर्ष।<br>ख) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किए गए आवंटन<br>ग) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च।<br>घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च।</td><td>क) 2247.43 करोड़ रुपये लागत मूल्य, सनसेट तारीख के मूल्य स्तर पर<br>ख) 24.19 करोड़ रुपये (पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के अतिरिक्त)<br>ग) 2338.03 करोड़ रुपये<br>घ) पर्यावरण प्रबंधन योजना पर अबतक का खर्चा इस प्रकार है:
<table>
<tr><th>क्रम सं.</th><th>पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)</th><th>आवंटित राशि(लाख रुपये में)</th><th>खर्च (लाख रुपये में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>जलग्रहण क्षेत्र उपचार</td><td>1293.06</td><td>1437.32</td></tr>
<tr><td>2</td><td>जैव-विविधता संरक्षण</td><td>26.94</td><td>50.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>मत्स्य पालन विकास</td><td>215.51</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>स्वास्थ्य देखभाल योजना</td><td>53.88</td><td>226.93*</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ऊर्जा संरक्षण</td><td>161.63</td><td>586.05*</td></tr>
<tr><td>6</td><td>मलबे का निपटान</td><td>215.51</td><td>433.76*</td></tr>
<tr><td>7</td><td>निर्माण-क्षेत्रों का पुनरुद्धार</td><td>107.76</td><td>100.00</td></tr>
<tr><td>8</td><td>हरित पट्टी विकास</td><td>53.88</td><td>107.60</td></tr>
<tr><td>9</td><td>ठोस कूड़ा करकट प्रबंधन</td><td>75.43</td><td>156.11*</td></tr>
<tr><td>10</td><td>पर्यावरण अध्ययन/मानीटरिंग कार्यक्रम</td><td>107.76</td><td>261.90*</td></tr>
<tr><td>11</td><td>आपदा प्रबंधन योजना</td><td>107.76</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>12</td><td>पुनर्वास और पुनर्स्थापन</td><td>142.33</td><td>375.00</td></tr>
<tr><td></td><td>जोड़</td><td>2561.45</td><td>3834.67</td></tr>
<tr><td colspan="4">* प्रमुख ठेकेदार द्वारा किए गए व्यय शामिल है।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>10</td><td>वन भूमि की आवश्यकताएं<br><br>क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अपवर्तन के अनुमोदन की स्थिति<br>ख) वन भूमि में पेड़ों की कटाई के संबंध में स्थिति</td><td>क) परियोजना के निर्माण के लिए किसी वन भूमि की आवश्यकता नहीं थी। इस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा पत्र दिनांक 29.07.2003 के माध्यम से जारी किया गया है।<br>ख) लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>11</td><td>निर्माण की स्थिति<br>क) आरम्भ करने की तारीख (वास्तविक और /अथवा आयोजना की गई )<br>ख) पूरा होने की तारीख(वास्तविक और /अथवा आयोजना की गई )</td><td>क) सितम्बर, 2005 (वास्तविक)<br>ख) मार्च, 2014 (वास्तविक )</td></tr>
<tr><td>12</td><td>विलम्ब के कारण। यदि परियोजना अभी</td><td>लागू नहीं</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | आरम्भ की जानी है। | |
| 13 | स्थल के दौरों का ब्यौरा<br>क) बहु-विधा समिति निरीक्षण द्वारा | क)<br>i. पहली  बहु-विधा समिति निरीक्षण दौरा - 24 से 26 अप्रैल 2007<br>ii. दूसरी बहु-विधा समिति निरीक्षण दौरा - 04 से 06 मई 2008<br>iii. तीसरी बहु-विधा समिति निरीक्षण दौरा - 29 से 31 जुलाई 2009<br>iv. चौथी  बहु-विधा समिति निरीक्षण दौरा - 30 मई से 01 जुलाई 2011.<br>v. पाँचवीं बहु-विधा समिति निरीक्षण दौरा - 10 दिसम्बर 2013<br>vi. छटवी बहु-विधा समिति निरीक्षण दौरा - 28 नवंबर 2018 |
| | ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा | ख) संयुक्त निदेशक (एस), क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण निगरानी समिति के साथ परियोजना का दौरा किया है। |
| | ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जम्मू और कश्मीर के अधिकारियों द्वारा | ग) जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने निरीक्षण के लिए जून, 2022 माह में विद्युत गृह का भ्रमण किया। |
| 14 | पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट | कृपया **संलग्नक-क** देखें। |

**संलग्नक-क**

**मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति पत्र संख्या J-2011/14/2004-IA-I, दिनांक 13.8.2004 में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के संबंध में स्थिति ।**

**<u>भाग क: विशिष्ट शर्तें</u>**

| क्र. स. | विशिष्ट शर्तें | अनुपालन की स्थिति |
|---|---|---|
| i | परियोजना प्राधिकारी राज्य एजेंसियों के माध्यम से जैवविविधता संरक्षण योजना को क्रियान्वित करेंगे जिसके लिए 50.92 लाख रुपये निर्धारित किए गए हैं। योजना में दो क्षेत्रों अर्थात् बुनियार नाला उप-वाटरशैड और सलामाबाद उप-वाटरशैड में प्राणिजात और पादपी जैवविविधता के स्वस्थाने संरक्षण के लिए उपायों का सुझाव दिया जाएगा। | जैव विविधता संरक्षण योजना को राज्य सरकार के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है। जिसके तहत 50.00 लाख रुपये का व्यय जैव विविधता संरक्षण योजना पर किया गया है। शर्त का पालन किया गया । |
| ii | परियोजना पर्यावरण मानीटरिंग समिति में प्रभावित परिवारों का एक प्रतिनिधि शामिल किया जाएगा । | परियोजना पर्यावरण मानीटरिंग समिति का गठन 2006 में किया जा चुका हैं और उपरोक्त का अनुपालन कर दिया गया है। |
| iii | यथाप्रस्तावित जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना 6 वर्ष में पूरी की जानी चाहिए। इस उपचार में विभिन्न जैविक ओर इंजीनियरी उपाय शामिल होंगे। | जम्मू एवं कश्मीर, वन विभाग के द्वारा कैट के कार्यो का निष्पादन किया जा रहा है। इसके कार्यान्वयन के लिए 1112.87 लाख रुपए की राशि को निर्धारित किया गया है। कैट के कार्यो के विस्तार के लिए रु. 341.13 लाख का अनुमोदन पर्यावरण मंत्रालय ने दिनांक 14.07.2015 के पत्र द्वारा दे दिया हैं । अभी तक, जम्मू एवं कश्मीर, वन विभाग को रु. 1437.32 लाख कैट के कार्यो को अनुपालन हेतु जारी किए जा चुके है।<br>जारी की गयी राशि की उपयोग रिपोर्ट अभी प्रतीक्षित है। |

**भाग ख: सामान्य शर्तें**

| क्र. स. | सामान्य शर्तें | अनुपालन की स्थिति |
|---|---|---|
| iv | भूकम्प पेरामीटरों के लिए केन्द्रीय जल आयोग के एनसीएसडीपी की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। परिबद्ध और अनुरक्षण से पहले/परिबद्ध करने के पश्चात् की अवधि के दौरान मानीटर की गई भूकम्प की तीव्रता को रिकार्ड और मानीटर करने के लिए भूकम्प केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। | शर्त का अनुपालन किया गया है। भूकंप के मापदंडों के लिए CWC के NCSDP से मंजूरी प्राप्त की गई है। बांध साइट पर एक्सेलेरोग्राफ स्थापित किया गया है और वे संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं। |
| v | निर्माण-कार्य में लगे श्रमिकों के लिए परियोजना | परियोजना का निर्माण पूरा हो गया हैं । शर्त का |

| | | |
|---|---|---|
| | लागत पर पर्याप्त निशुल्क ईंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वृक्षों की अवैध कटाई को रोका जा सके। | अनुपालन किया जा चुका हैं। इसके अलावा, परियोजना ने ऊर्जा संरक्षण उपायों के तहत भूमि निकायों को 475 मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित किए हैं। |
| vi | ईंधन (मिट्टी का तेल/एलपीजी) मुहैया करने के लिए कार्यस्थल पर ईंधन डिपो खोला जाए। श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं और मनोरंजन सुविधाएं भी मुहैया की जानी चाहिएं। | परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो गया है । शर्त का अनुपालन किया जा चुका हैं। |
| vii | निर्माण क्षेत्र तथा डम्पिंग स्थलों के पुनरुद्धार हेतु खोदी गई सामग्रियों के निस्तारण करते हुए स्थल समतलीकरण , गड्ढों को भरना भूसुदर्शनीकरण आदि कार्यों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस क्षेत्र में उपयुक्त रोपण द्वारा वनीकरण किया जाना चाहिए। | परियोजना में खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है। मलबा के निस्तारण के लिए विशेष व्यवस्थाएँ की गई तथा यह सुनिश्चित किया गया की मलबा निर्धारित डंपिंग स्थलों पर ही डाला गया है और मलबा डंपिंग स्थलों के ढलानों के स्थिरीकरण के लिए वाइर-क्रेट्स एवं गैबियन प्रदान किए गए हैं। कुल ₹ 433.76 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है।<br>वर्तमान में डंपिंग साइट नंबर S-4 व S-5 के पुनरुद्धार का कार्य राज्य वन विभाग द्वारा किया जा रहा है जिसके लिए कुल आवंटित ₹167.50 (ब्याज सहित) लाख रुपए में से ₹ 129.55 लाख रुपए का उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। |
| viii | सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए वानिकी , पारिस्थितिकी, वन्यजीव, मृदा संरक्षण की विभिन्न विधाओं और गैर-सरकारी संगठन आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक बहुविषयक समिति का गठन किया जाना चाहिए। | शर्त का अनुपालन किया जा चुका हैं। दिनांक 06.05.2006 के कार्यालय आदेश द्वारा एक बहुविषयक निगरानी समिति का गठन किया गया है। |
| ix | ऊपर सुझाए गए सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन हेतु परियोजना के कुल बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए। | शर्त का अनुपालन किया जा चुका हैं। डीपीआर में इसके लिए आवश्यक प्रावधान किया गया है। |
| x | छमाही प्रगति रिपोर्ट मंत्रालय और उसके एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय को समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाए। | शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। छमाही प्रगति रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और उसके एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय को निरंतर भेजी जा रही है। |

**<u>पर्यावरण संबंधी अन्य सुरक्षा उपाय</u>**

**1) पुनर्वास और पुनर्स्थापन :** जम्मू और कश्मीर सरकार ने पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के अंतर्गत 149 लाख रुपये की राशि का अनुमोदन किया है जिसमें से 100 लाख रुपये की राशि कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण) को वितरित हेतु जारी कर दी गयी है। कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण) द्वारा बेघर लोगों की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले परियोजना प्रभावित 91 लोगों को बेघर और ढुलाई अनुदान के रूप में क्रमशः 80,000/- रुपये + 8000/- रुपये की दर से 80.08 लाख रुपये वितरित किए जा चुके हैं। निजी भूमि के अधिग्रहण मे वृद्धि के कारण परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 521 हो गयी है। भूमि विस्थापितों, जिनकी 100%, 50% से अधिक या 50% से कम भूमि

अधिकृत की गई है और जो पुनर्वास और पुनर्स्थापन अनुदान प्राप्त करने के पात्र हैं, की सूची राजस्व प्राधिकारियों से प्राप्त हो गई है और यह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर द्वारा अनुमोदित भी हो गई है। कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण) की मांग पर विस्थापितों के लिए 3.74 करोड़ रुपये की राशि कलेक्टर को दी गयी है। जिसको पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना के तहत प्रभावितों को वितरित कर दिया गया हैं। इसके अंतर्गत बेघर अनुदान भी शामिल है।

**2) मत्स्य विकास :** योजना शुरू करने हेतु कमिश्नर सेक्रेटरी, वन और मत्स्य पालन विभाग को ₹ 100.00 लाख रूपये जारी किए हैं। परियोजना ने मत्स्य पालन विभाग को मछली फार्म के लिए भूमि और निर्माण स्थल पर कार्यालय की स्थापना के लिए एक छोटा भवन उपलब्ध कराया है। पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण हो चुका है व योजना नक्शा मत्स्य पालन विभाग को दे दिया गया है। अब तक मत्स्य पालन विभाग ने परियोजना को 90.70 लाख रुपए की राशि के लिए प्रगति रिपोर्ट दी है, शेष बचे ₹ 9.30 लाख रुपए की खर्चे का प्रमाण पत्र अभी मत्स्य पालन विभाग से अपेक्षित हैं।

**3) सीवेज और ठोस कूड़ा-करकट का निपटान :** वाहित मल निस्तारण के लिए, सोख गड्ढों के साथ सेप्टिक टैंक सभी कालोनियों में बनाया गये है। कूड़े के संग्रह और ठोस कचरे के सुरक्षित निपटान के लिए कचरे के डिब्बे कालोनियों/ शिविरों में उपलब्ध कराए गए है। बायोमेडिकल और जैविक कूड़े को सुरक्षित रूप से निपटारा के लिए इस उद्देश्य से निर्मित गड्ढे में अलग- अलग डाला जा रहा हैं। पावर हाउस में 5 KLD क्षमता का एक वाहित मल शोधन संयंत्र लगाया गया है।

**4) हरित पट्टी विकास :** परियोजना में हरित पट्टी विकास तथा जलाशय रिम उपचार का कार्य राज्य मृदा संरक्षण विभाग को आवंटित किया गया हैं। विभाग ने रु. 107.60 लाख का संशोधित प्रस्ताव जमा किया हैं । राज्य भूमि संरक्षण विभाग ने पौधारोपण, फेंसिंग तथा सिविल कार्य को समाप्त कर लिया हैं तथा रु. 101.88 लाख के खर्चे का प्रमाण पत्र भी जमा कर दिया हैं।

****

**नोट: यह रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजे गए अंग्रेजी रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। भावार्थ में कहीं भी संदेह की स्थिति में अंग्रेजी रिपोर्ट के अर्थ को ही अंतिम माना जाएगा।**